न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू

(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

प्राथना पत्र संख्या:–295/2025

दर्ज तिथि:–16.07.2025

प्रेम प्रकाश पुत्र नोरंगराम जाति मेघवाल निवासी चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू

–प्राथी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

–अप्रार्थी–

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:– श्री मोहित कुमार शर्मा।
प्रतिवादी:– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:–...19/12/2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खाता संख्या 252 के खसरा नं. 881/558 तादादी 0.9610 हेक्टेयर, खसरा नं. 883/505 तादादी 5.4500 हेक्टेयर कुल तादादी 6.4110 हेक्टेयर रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खसराजात की राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 रोही चंगोई तहसील तारानगर में इंतकाल के समय राजस्व कर्मचारीयों की भूलवश व कम्प्युटर टाईप की गलती से वर्तमान राजस्व जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्र नोरंगराम दर्ज हो गया, जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम प्रेम प्रकाश है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त राजस्व जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम प्रेम प्रकाश है जो सही नाम है। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। मैनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

3.प्रकरण में तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसका विवरण इस प्रकार है:– कि ग्राम चंगोई के राजस्व रिकार्ड जामबन्दी के खाता संख्या 252 में प्रेम पुत्र नोरंगराम जाति

Rajendra

मेघवाल निवासी चंगोई दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक दस्तावेज व पूछताछ के अनुसार प्रेम उर्फ प्रेम प्रकाश पुत्र नोरंगराम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। अतः प्राथी का नाम प्रेम पुत्र नोरंगराम की बजाय प्रेम प्रकाश पुत्र नोरंगराम किया जाना उचित है।

4. उक्त विश्लेषण एवं तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार स्पष्ट है कृषि भूमि खाता संख्या 252 के खसरा नं. 881/558 तादादी 0.9610 हेक्टेयर, खसरा नं. 883/505 तादादी 5.4500 हेक्टेयर कुल तादादी 6.4110 हेक्टेयर रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्र नोरंगराम के स्थान पर प्रेम प्रकाश पुत्र नोरंगराम दर्ज करना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साविक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार तारानगर रिपोर्ट से सावित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 तहसीलदार तारानगर रिपोर्ट से सावित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं कृषि भूमि खाता संख्या 252 के खसरा नं. 881/558 तादादी 0.9610 हेक्टेयर, खसरा नं. 883/505 तादादी 5.4500 हेक्टेयर कुल तादादी 6.4110 हेक्टेयर रोही मौजा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अंकित प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्र नोरंगराम के स्थान पर प्रेम प्रकाश पुत्र नोरंगराम दर्ज किया जावे। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारागनर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 19/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)